

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// संशोधित आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 14.10.2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42 :: राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2016 एवं आदेश क्रमांक एफ.1-59/2014/तक.शि./42, दिनांक 28.09.2016 द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक एवं शास.पॉली. संस्थाओं में व्याख्याताओं की नियुक्ति आदेश जारी कर 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

2/ उपरोक्त आदेशों के परिपालन में कुछ सहायक प्राध्यापक/व्याख्याताओं द्वारा पदस्थापना स्थानों में शासकीय अवकाश होने के कारण 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है ।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा उपरोक्त नवनियुक्त अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु 07 दिवस का अतिरिक्त समयावधि प्रदान करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,

एवं रोजगार विभाग

नया रायपुर दिनांक 14.10.2016

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42,
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर।
3. आयुक्त सह सचिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक/शास.कन्या पॉली..... छ.ग.
6. सर्व संबंधित
7. मास्टर फाईल तकनीकी शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,

एवं रोजगार विभाग